100

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (खण्डपीठ रीवा)

राधे सिंह तनय स्व0 श्री बद्री सिंह, उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम पडरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3661 —————निगरानीकर्ता

बनाम

1— युवराज सिंह तनय गप्पू सिंह

2— लवकुश सिंह तनय श्री अयोध्या सिंह

3— कुसुमकली बेवा अयोध्या सिंह

4— अवधराज सिंह तनय गप्पू सिंह (मृ०) वारिस।ता3

5— श्रीमान् सिंह तनय श्री प्रताप सिंह

6— सत्यभान सिंह तनय स्व0 शम्भू सिंह (मृतक) वारिसान

(अ)— समयलाल सिंह तनय सत्यभान सिंह

(ब)— कल्याण सिंह तनय सत्यभान सिंह

(स)— गुलाब सिंह तनय सत्यभान सिंह

(द) - गोविन्द सिंह तनय सत्यभान सिंह

7— नागेन्द्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह

8— नारेन्द्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह

सभी निवासी ग्राम पडरी तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0.

—————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री विकास सिंह अधिवक्ता द्वारा आज दि. 6-10-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6/10/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

CF-12-10-17

निगरानी आवेदन विरुद्ध आदेश तहसीलदार सिंरमौर वृत्त मिर्द, जिला रीवा के प्रकरण क्र0–61–अ–6/16–17 में पारित आदेश दिनांक 14/08/2017 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :—

यह कि सर्वप्रथम विचारण न्यायालय तहसीलदार सिरमौर में प्रश्नगत आराजी ख0क्र0 71 रकवा 0.328हे0, 72 रकवा 0.243 हे0 73 रकवा 0.322 हे0, 899/1 रकवा 0.263 हे0, 900 रकवा 0.040 हे0, 901 रकवा 0.890 हे0 स्थित ग्राम

अ.नि.
राधे सिंह

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगंरानी / रीवा / भू.रा / 2017 / 3661

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
16-4-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विकास भदौरिया उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे उपस्थित। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 61 / अ–6 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.8.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3–प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि सर्व प्रथम न्यायालय तहसीलदार सिरमौर में प्रश्नगत आराजी खसरा कमांक 71 रकवा 0.328 है0 72 रकवा 0.243 है0 73 रकवा 0.322 है0 899 / 1 रकवा 0.236 है0 900 रकवा 0.040 है0 901 रकवा 0.890 है0 स्थित ग्राम पड़री तहसील सिरमौर जिला रीवा के नामांतरण किये जाने तथा राहिन शब्द व सत्यभान सिंह, श्रीमान सिंह, मुर्तहीन का नाम विलोपित किये जाने बावत संहिता की धारा 115 , 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र गैर निगरानीकर्ता 1 युवराज सिंह एवं गैर निगरानीकर्ता –2 से 3 के पिता अयोध्या सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रकरण कमांक 41 / अ–6 / 09–10 जिसे विचारणवाद दिनांक 24.9.12 को विधिवत निराकरण कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्व आवेदकगण द्वारा कोई अपील	

या निगरानी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत न कर गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 एवं अयोध्या सिंह के वारिस गैर निगरानीकर्ता कमांक 2 से 3 द्वारा एक अन्य पक्षकार आवेदक के रूप में संयोजित कर पुनः 3 वर्ष बाद उक्त भूमियों में राहिन एवं मुर्तहीन, श्रीमान सिंह, सत्यभान सिंह का नाम विलोपित कर नामांतरण किये जाने का आवेदन दिनांक 29.4.15 को प्रस्तुत किया उक्त कार्यवाही प्रांग न्याय से बाधित नियम विरूद्व होने से निगरानीकर्ता को जानकारी होने पर प्रकरण के प्रचलनशीलता व पक्षकार संयोजित करने बावत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने लगभग 2 वर्ष वाद दिनांक 14.8.17 को आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। निगरानी में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सिरमौर द्वारा दिनांक 14.8.17 के आदेश पत्रिका में लेख किया गया है कि प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 11.8.15 में मुर्तहिन के वारिसों में गुलाब गोविंद सिंह का भी होना बताया है। पूर्व में प्रकरण कमांक 41/अ–6/09–10 जिसे विचारणवाद दिनांक 24.9.12 को तहसीलदार सिरमौर द्वारा यह लेख अपने आदेश में किया गया है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 32 में राहिन, (जिसने अपनी वस्तु रखी) मुर्तहिन (दूसरे की वस्तु रखने वाला) का नाम विलोपित करने एवं वारिसाना नामांतरण करने का प्रावधान नहीं होने के कारण आवेदन

खारिज किया गया है। अतः जब पूर्व में ही आवेदन खारिज हो गया है और प्रकरण में अंतिम निराकरण हो गया है उसके विरूद्व निगरानी/अपील किसी भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है और आवेदन इस प्रकरण में हितबद्व पक्षकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रचलनशीलता पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 61/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 14.8.17 द्वारा पारित अंतिरिम आदेश 14.8.17 के द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है वह प्रचलनशीलता पर ही निरस्त की जाती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य